बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

संख्या–8प0 / वि0–04–01 / 2016 / 8634 / पं0रा0 पटना, दिनांक–26 / 12 / 2019

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 170क, 170ख एवं 170ग सह–पठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 का संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**–(1) यह नियमावली बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **उक्त नियमावली, 2017 के नियम 16 में संशोधन।**–उक्त नियमावली, 2017 के नियम 16 के उप–नियम (8) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:–

"परन्तु यह कि अगर समिति के अध्यक्ष (वार्ड सदस्य) द्वारा वार्ड को सौंपी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति के खाते में राशि हस्तांतरित किये जाने के 45 दिनों के भीतर योजनाओं का कार्यान्वयन आरंभ नहीं किया जाता है, अथवा अध्यक्ष द्वारा इसमें अभिरूचि नहीं दिखलायी जाती है या अध्यक्ष लंबी अवधि के लिए अपने क्षेत्र से बाहर चला जाता है, तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति के खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत के उप–मुखिया एवं समिति के सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से तबतक किये जाने का आदेश दे सकेगा, जबतक उस वार्ड से निर्वाचित वार्ड सदस्य इस नियमावली के प्रावधानों के आलोक में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सम्यक रूप से करने हेतु स्वयं उपस्थित होकर उन्हें लिखित अंडरटेकिंग न दे दे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/12/19

(हरेन्द्र नाथ दूबे)

सरकार के अपर सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांकः–8प0 / वि0–04–01 / 2016 / 8634 / पं0रा0 पटना, दिनांक–26 / 12 / 2019
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटन को बिहार गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

24/12/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–8प0 / वि0–04–01 / 2016 / 8634 / पं0रा0 पटना, दिनांक–26 / 12 / 2019
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान / सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

24/12/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–8प0 / वि0–04–01 / 2016 / 8634 / पं0रा0 पटना, दिनांक–26 / 12 / 2019
प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार विधान सभा / मुख्यमंत्री सचिवालय / निबंधक, पटना उच्च न्यायालय / महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

24/12/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–8प0 / वि0–04–01 / 2016 / 8634 / पं0रा0 पटना, दिनांक–26 / 12 / 2019
प्रतिलिपिः–आई0टी0प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

24/12/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
सरकार के अपर सचिव

Government of Bihar
Panchayati Raj Department

Notification

No.8Pa./Vi.-04-01/2016/..8694../P.R. **Patna, Dated-26/12/2019**

In exercise of the powers conferred by Section 170A, 170B and 170C read with section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Ward Sabha & Ward Implementation and Management Committee Conduct of Business Rules, 2017:-

1. **Short title, extent and commencement-** (1) These Rules may be called the Bihar Ward Sabha & Ward Implementation and Management Committee Conduct of Business (Amendment) Rules, 2019.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment in Rule 16 of the said Rules, 2017:-**The following proviso shall be added in sub-rule (8) of Rule 16 of the said Rules, 2017:-

"Provided that if work is not commenced by Chairman of the Committee (Ward Member) in the schemes assigned to the ward within 45 days of transfer of fund in the account of the Committee or the Chairman shows no interest or the Chairman absents himself from his ward for a long period, District Panchayat Raj Officer, on the report and recommendation of the concerned Block Development Officer, may direct that the account of the Committee shall be operated by joint signature of Up-Mukhiya of the concerned Gram Panchayat and Member Secretary of the Committee till the Ward Member elected from that ward appears in person before him and gives an undertaking in writing that he will duly perform his duties and responsibilities in accordance with the provisions of these Rules."

By order of the Governor of Bihar

24\12\19

(Harendra Nath Dubey)
Additional Secretary to the Government

Memo No. 8Pa./Vi.-04-01/2016/....8634...../P.R. **Patna, Dated--26..../.....12..../2019**
Copy forwarded to the officer in-charge, e-Gazette Cell, Finance Dept., Bihar, Patna for publication in next extraordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 500 copies of this notification to the Panchayati Raj Department, Bihar, Patna immediately.

Sd/- 24/12/19

(Harendra Nath Dubey)
Additional Secretary to the Government

Memo No. 8Pa./Vi.-04-01/2016/....8634...../P.R. **Patna, Dated--26.../..12..../2019**
Copy forwarded to Chief Secretary, Bihar/Principal Secretary to the Chief Minister, Bihar/All Departments and Heads of the Department/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/All Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Zila Parishad/Secretary, State Election Commission, Bihar, Patna/All Divisional Deputy Directors, Panchayat Raj/All District Panchayat Raj Officers/All Principals, Zila Panchayat Raj Training Institute/All Principals, Mukhias- Sarpanchs Training Institute/All Chief Executive Officers, Municipal Corporation/All Executive Officer, Nagar Parishad and Nagar Panchayat for information.

Sd/- 24/12/19

(Harendra Nath Dubey)
Additional Secretary to the Government

Memo No. 8Pa./Vi.-04-01/2016/....8634..../P.R. **Patna, Dated--26..../12........./2019**
Copy forwarded to Secretary, Bihar Legislative Council/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Chief Minister, Secretariat/Registrar, Patna High Court/Advocate General, Bihar, Patna for information.

Sd/- 24/12/19

(Harendra Nath Dubey)
Additional Secretary to the Government

Memo No. 8Pa./Vi.-04-01/2016/....8634..../P.R. **Patna, Dated--26.../..12......../2019**
Copy forwarded to IT Manager, Panchayati Raj Department, Bihar, Patna to upload it on Departmental Website www.biharprd.bih.nic.in.

Sd/- 24/12/19

(Harendra Nath Dubey)
Additional Secretary to the Government